

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी-डॉ०सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 41/2020

तारीख रजू 22.01..2020

बल्लाराम पुत्र बिरदया जाति बैरवा निवासी कटार तह०खण्डार।

--- अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार, खण्डार

----- रेस्प०

निर्णय

दिनांक..... 16/2/2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार, खण्डार द्वारा मिसल संख्या 295/19 में पारित आदेश दिनांक 28.11.19 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम फरिया के आराजी खसरा नम्बर 772/483 रकवा 4 बीघा किस्म ब.का.च. पर संवत् 2076 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर जोत लगाने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्प० की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्प० की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में कथन किया अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों सही प्रकार से अवलोकन नहीं किया है एवं गलत प्रकार से निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है यह भी तर्क दिया है कि अदालत मातहत द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्त के व गवाहों के बयान नहीं लिये हैं मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर कार्यवाही की है जो न्याय की श्रेणी में नहीं आती है। मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अदालत मातहत द्वारा पाश्चातवर्ती मानते हुये अपीलान्त सजायाब किया गया है जबकि पत्रावली में पश्चातवर्ती के सम्बन्ध को कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं है। अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है तथा अपीलान्त की स्वयं की खातेदारी भूमि पर ही कब्जा काश्त है। यह भी तर्क दिया है कि अदालत मातहत द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्त को सुनवाई सबूत पेश करने का

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर



का कोई अवसर नहीं दिया है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.11.19 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसपर अपीलान्ट को स्वयं को तामील होने पर अपीलान्ट अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 07.11.17 को उपस्थित हुआ। अतः वकील अपीलार्थी का यह कथन कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर नहीं दिया गया है मान्य नहीं है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो इस संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व के किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट, नोटिस व अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है। अपीलान्ट द्वारा बहस में पश्चातवर्ती के सबूत पत्रावली में संलग्न नहीं होने के कथन से मैं सहमत हूँ। मेरी राय में अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमें बेदखली, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्ट को दिये गये 90 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16/2/204 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

15
(डॉ०सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर